उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-18/2021/एस-2-269/दस-2021-33(53)/2017

लखनऊ :: दिनॉक: 23फरवरी, 2021

**<u>कार्यालय-आदेश</u>**

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती | पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री आलोक कुमार अग्रवाल,<br>वित्त नियंत्रक,<br>कार्यालय वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ। | निदेशक (वित्त),<br>जल निगम उ0प्र0,<br>लखनऊ। |
| 2 | श्री मुकेश कुमार जैन,<br>वित्त अधिकारी,<br>डा0 राम मनोहर लोहिया चिक्तिसा शोध संस्थान,<br>उ0प्र0 लखनऊ। | वित्त अधिकारी,<br>लखनऊ विश्वविद्यालय,<br>लखनऊ। |
| 3 | श्रीमती संतोष अग्रवाल,<br>निदेशक,<br>आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय,<br>उ0प्र0 लखनऊ। | निदेशक,<br>उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा<br>निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ। |
| 4 | श्री राज नारायण सिंह<br>अर्थ नियंत्रक चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं<br>प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर | निदेशक, (वित्त),<br>उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई,<br>इटावा। |

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-18/2021-एस-2-269(1)/दस-2021,तददिनॉक</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अध्यक्ष, जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/नगर विकास/चिकित्सा शिक्षा/वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया चिक्तिसा शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक,आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7- कुलपति/कुल सचिव, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई, इटावा।

8- कुलपति,चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।

9- कुलपति/कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।

10- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

11- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

12- मुख्य कोषाधिकारी, (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), लखनऊ/इटावा ।

13- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( विद्या कुमार )

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।